

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री ओमप्रकाश पिता हीरालाल सुथार निवासी चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता हीरालाल सुथार निवासी चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 160/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00078

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का धारा 11 जा. दी. पूर्व न्याय के तहत विधि विरुद्ध पाये जाने से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

